

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2993 / 2025

नीलम कुमारी

—अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा, नागौर।

—प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2025
आदेश की दिनांक : 09.06.2025

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :- चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामले) के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.4.2025 के अभ्यावेदन पर प्रत्यर्था विभाग द्वारा निर्णय नहीं लिया है, जिसमें अभ्यावेदन में विशेष रूप से उल्लिखित किसी भी रिक्त पद पर उसके निवास के निकट अपीलार्थी की नियुक्ति के लिए उसके मामले पर विचार किया गया था। अपीलार्थी का कथन है कि झुंझुनू जिले में कई पद रिक्त हैं। अपीलार्थी का पति भी झुंझुनू जिले में कार्यरत है। अपीलार्थी के ससुर लगभग 77 वर्ष के हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं और अपीलार्थी की सास माइक्रोवैस्कुलर डीकंप्रेसन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व रोग से पीड़ित हैं। अपीलार्थी का पुत्र लगभग 4 वर्ष का है और अपीलार्थी पर अपने परिवार की जिम्मेदारी है। अपीलार्थी अपने निवास से बहुत दूर काम कर रही है और पद उसके आवासीय स्थान के निकट रिक्त पड़े हैं। (अनुलग्नक-1) अपीलार्थी को दिनांक 22.3.2019 के आदेश के अनुसार वर्तमान पदस्थापन स्थान पर तैनात किया गया था। (अनुलग्नक-2) दिनांक 22.3.2019 के आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी ने वर्तमान पदस्थापन स्थान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तोलियासर नुवा, मोलासर, नागौर में दिनांक 8.4.2019 को कार्यग्रहण कर लिया था तथा तब से वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत है। (अनुलग्नक-3) अपीलार्थी द्वारा दिनांक 24.04.2025 को प्रत्यर्था विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर स्थित पद पर कार्यरत है तथा झुंझुनू जिले में पद

रिक्त पड़े हैं, तथा उनके निवास स्थान के नजदीक भी हैं अर्थात् राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हमीरवास बजावा जिला झुंझुनू, तथा इसलिए अपीलार्थी अपने निवास स्थान के नजदीक रिक्त पदों पर अपनी पदस्थापना चाहती है। (अनुलग्नक-4)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.4.2025 का निस्तारण किया जावे एवं अभ्यावेदन में उल्लिखित किसी भी रिक्त पद पर नियमित वेतन और सभी सुविधाओं के साथ उसके आवासीय स्थान के निकट अध्यापक ग्रेड III लेवल II, अंग्रेजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने के निर्देश दिए जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 24.04.2025 जो प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के पास निस्तारण हेतु लम्बित है। प्रत्यर्थीगण के सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त लम्बित आशय का अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के नियमों/ दिशा-निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य